न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00329Ju2019-172 Bhawarlal Vs Khamuram etc

भंवरलाल पुत्र श्री खमुराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम केलनसर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. खमुराम पुत्र श्री सुराराम, जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम केलनसर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
02. लाखाराम पुत्र श्री रुघाराम, जाति विश्नोई निवासी- रावत बेरा, डाबड़ी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
03. श्रीमान् तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 25 अक्टूबर 2019 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 115/2019 भंवरलाल बनाम खमुराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 नवंबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 115/2019 भंवरलाल बनाम खमुराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 01 नवंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 92-ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई कर दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गोल माल आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विवादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित हिंदु परिवार की संयुक्त कब्जे व काश्त की कृषि भूमि होने के कारण अपीलार्थी का विवादग्रस्त भूमि मे जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। इस कारण भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह बात गलत तरीके से कन्सीडर्ड की गयी कि रेकर्डेड खातेदारो के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, जबकि संयुक्त अविभाजित हिंदु परिवार में प्रत्येक सदस्य का बराबर हिस्सा व कब्जा होता है, सिर्फ राजस्व रेकर्ड में कर्मचारियों की गलती के कारण एक व्यक्ति का नाम राजस्व रेकर्ड में चढ जाने से हिंदु अविभाजित परिवार के सदस्यों का अधिकार प्रभावित नहीं होता है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अविभाजित हिंदु परिवार के प्रत्येक सदस्य का पविार की भूमि पर संयुक्त रूप से प्रत्येक इंच पर कब्जा व काश्त माना जाता है। इस कारण भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या दो द्वारा 13 बिस्वा भूमि खरीद की गयी है तथा मौके पर बिना बंटवाड़े के विशेष भूमि भाग पर कब्जा कर नलकूप खुदवाया जाता है तो मौके पर विशेष भू-भाग पर कब्जे की पूर्ण संभावना है। इस कारण भी मौके की यथास्थिति रखा जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित किया है तथा विशेष भू-भाग पर कब्जा किये जाने पर अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर वाद के लंबित रहने तक विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा रेस्पोडेंट संख्या दो को 13 बिस्वा भूमि का बेचान नलकूप कनेक्शन लेने हेतु किया गया है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स के कृषि विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत किया है। रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें तथा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट भी खारिज फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस्तदुआ चाही कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का जहां कब्जा काश्त है, उक्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जवाब में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही किये जाने का निवेदन किया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलांट ने अपने पिता खमूराम के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने दादा सूरा का 1/2 हिस्सा होने से संपति को पुश्तैनी बताया। दावा केवल खातेदारी घोषणा का है, इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रास्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर